संख्या-1128/1-10-2016-33(16)/2015

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बलिया, बरेली, शाहजहाँपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, गोरखपुर, कुशीनगर, झांसी, जालौन, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, बागपत, मीरजापुर, भदोही, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चन्दौली, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती एवं सन्त कबीरनगर।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 10 अक्टूबर, 2016

विषय: फरवरी, मार्च एवं अप्रैल, 2015 में चकवाती तूफान के फलस्वरूप ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से हुई कृषि फसलों की क्षति से प्रभावित अवशेष किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये राज्य सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2016-17 में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि फरवरी, मार्च एवं अप्रैल, 2015 में चक्रवाती तूफान के फलस्वरूप ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से प्रदेश के 73 जनपद प्रभावित हुये थे। प्रभावित जनपदों में कृषि फसलों को हुई क्षति तथा जन–धन की हानि के दृष्टिगत भारत सरकार के नवीनतम मानक दिनांक 08.04.2015 के अनुसार कुल रू0 7543.14 करोड़ का मेमोरेण्डम भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से मात्र रू0 2801.59 करोड़ की धनराशि प्रदान की गयी थी। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राज्य सरकार द्वारा भी अपनी ओर से अतिरिक्त सहायता दिये जाने का निर्णय लिया गया था जिसके सम्बन्ध में अन्तिम रूप से शासनादेश संख्या–315–1–11–2015–1(जी)/2015, दिनांक 05.06.2015 निर्गत किया गया था। कृषि फसलों की क्षति से प्रभावित किसानों हेतु भारत सरकार के मानक के अनुसार रू0 7538.95 करोड़ तथा राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 05.06.2015 के कम में लगभग रू0 2489.10 करोड़ अर्थात् कुल धनराशि रू0 10028.05 करोड़ जनपदों को दी जानी थी।

2– ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को भारत सरकार के मानक के अनुसार सहायता वितरित किये जाने के लिये राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से रू0 2801.59 करोड़, राज्य आपदा मोचक निधि से रू0 478.70 करोड़ तथा राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सहायता दिये जाने के लिये रू0 1218.00 करोड़ अर्थात् कुल रू0 4498.29 करोड़ की धनराशि अब तक जनपदों को दी जा चुकी है। उक्त स्वीकृत धनराशि प्रभावित कुल 2,00,65,039 किसानों में से 1,07,88,129 किसानों को वितरित की जा चुकी है। भारत सरकार से अवशेष धनराशि रू0 4741.55 करोड़ की मांग की गयी है। भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने तथा किसानों की गम्भीर समस्याओं के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों से अवशेष प्रभावित किसानों को यथासम्भव कृषि निवेश अनुदान दिये जाने के लिये शासन के पत्र संख्या–972/1–10– 2016–33(16)/2015, दिनांक 05.09.2016 द्वारा इस सम्बन्ध में जनपदों से विवरण मांगा गया था।

3– जनपदों से प्राप्त विवरण के अनुसार (गोरखपुर, भदोही, सम्भल तथा वाराणसी की सूचना अप्राप्त) ऐसे किसानों, जिन्हें भारत सरकार/राज्य सरकार से कोई सहायता नहीं मिली है, की संख्या 90,60,330 है तथा इनके लिये जनपदों द्वारा कुल रू0 4698.14 करोड़ की धनराशि की मांग की गयी है। भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण सम्पूर्ण धनराशि राज्य सरकार द्वारा किसानों को दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः प्रथमतः

Scanned by CamScanner

मात्र अवशेष लघु एवं सीमान्त कृषकों को ही कृषि निवेश अनुदान हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **केवल लघु एवं सीमान्त कृषकों** को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नानुसार सम्बन्धित जनपदों को **कुल धनराशि रू0 16,99,72,00,000 करोड़ (रूपये सोलह अरब निन्यानबे करोड़ बहत्तर लाख मात्र)** जिलाधिकारीगणों के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

धनराशि करोड़ रू0 में

क्र0 सं0	जनपद का नाम	पूर्व स्वीकृत धनराशि	कुल प्रभावित किसानों की संख्या जिन्हे सहायता देय है	किसानो की सं0 जिन्हे राहत प्रदान की गयी है	ऐसे किसानों हेतु जिन्हें भारत सरकार/राज्य सरकार से कोई सहायता नही मिली है, के लिये मांगी गयी धनराशि	ऐसे किसानों की संख्या जिन्हें भारत सरकार/राज्य सरकार से कोई सहायता नही मिली है	लघु एवं सीमांत कृषकों की संख्या (कृषि सेन्सस 2011 के आधार पर स्तम्भ सं0–7 का 92.50 प्रतिशत)	लघु एवं सीमांत कृषक हेतु स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	फिरोजाबाद	83.70	307244	182211	35.11	125033	115656	25.44
2	मथुरा	248.58	566958	281219	29.00	32692	30240	6.65
3	अलीगढ़	38.85	340037	187645	59.05	161164	149077	32.80
4	एटा	72.51	218058	190139	24.17	27919	25825	5.68
5	हाथरस	52.94	212555	94672	121.05	117883	109042	23.99
6	कासगंज	15.54	56647	47478	5.24	9169	8481	1.87
7	इलाहाबाद	72.43	715778	280276	128.47	435502	402839	88.62
8	फतेहपुर	103.96	422132	198753	243.44	244269	225949	49.71
9	कौशाम्बी	33.85	276053	109134	58.99	166919	154400	33.97
10	प्रतापगढ	70.31	537319	353362	136.43	183557	169790	37.35
11	आजमगढ	59.02	366761	272453	26.50	89754	83022	18.26
12	बलिया	33.03	322780	141080	44.90	169499	156787	34.49
13	बरेली	67.53	324543	263700	42.30	57872	53532	11.78
14	शाहजहांपुर	76.70	544162	273183	55.22	223870	207080	45.56
15	चित्रकूट	136.91	197200	183150	67.00	48466	44831	9.86
16	हमीरपुर	184.69	233147	202963	127.72	30184	27920	6.14
17	बाराबंकी	41.35	371543	231859	88.11	205793	190359	41.88
18	अम्बेडकरनगर	31.85	133201	122467	13.54	2744	2538	0.56
19	सुल्तानपुर	27.26	191556	157440	16.22	47125	43591	9.59
20	अमेठी	37.57	327196	160656	20.10	162195	150030	20.10
21	गोरखपुर	38.70	191669	113286	0.00	50769	46961	10.33
22	कुशीनगर	28.08	334364	169583	39.42	309440	286232	39.42
23	झांसी	278.41	319844	228835	196.68	106991	98967	21.77
24	जालौन	201.16	250400	215277	4.47	4686	4335	0.95
25	ललितपुर	172.71	289583	152802	292.95	136791	126532	27.84
26	कानपुरनगर	89.57	477227	203533	123.94	249572	230854	50.79
27	कानपुर देहात	114.03	417927	181967	264.94	235960	218263	48.02
28	लखनऊ	44.35	421483	123390	131.69	298120	275761	60.67
29	हरदोई	66.35	526992	300721	215.11	226271	209301	46.05
30	लखीमपुरखीरी	31.37	158562	80472	24.51	79090	73158	16.09
31	रायबरेली	60.85	687206	192423	204.99	494052	456998	100.54
32	सीतापुर	71.35	490417	332850	275.71	157567	145749	32.06
33	उन्नाव	44.21	133365	104359	14.00	29006	26831	5.90

Scanned by CamScanner

34	बुलन्दशहर	88.89	381869	201783	111.86	180086	166580	36.65
35	गौतमबुद्धनगर	33.47	136580	54086	43.53	82494	76307	16.79
36	हापुड	29.97	83079	59580	10.49	191315	176966	10.49
37	बागपत	4.90	18096	16705	0.48	1321	1222	0.27
38	मिर्जापुर	37.01	472140	277624	39.60	217629	201307	39.60
39	भदोही	28.67	220435	103589	0.00	75681	70005	15.40
40	मुरादाबाद	80.94	452569	170359	152.10	282210	261044	57.43
41	अमरोहा	32.85	224077	99953	43.76	124007	114706	25.24
42	रामपुर	68.48	238996	190320	64.29	98596	91201	20.06
43	सहारनपुर	30.90	97507	92279	10.86	6438	5955	1.31
44	मुजफ्फरनगर	24.90	81087	70049	8.99	11038	10210	2.25
45	वाराणसी	34.35	457018	160680	0.00	191938	177543	39.06
46	गाजीपुर	79.63	567970	173552	188.10	400417	370386	81.48
47	जौनपुर	38.85	722476	238051	93.67	484425	448093	93.67
48	चन्दौली	44.85	294219	91660	119.70	202406	187226	41.19
49	देवरिया	32.35	741684	79883	65.12	661801	612166	65.12
50	सिद्धार्थनगर	12.59	32901	26597	6.66	26673	24673	5.43
51	बस्ती	41.35	946078	110818	182.77	835260	772616	169.98
52	संतकबीरनगर	28.85	133228	66279	19.91	66645	61647	13.56
	Total	**3503.47**	**17665918**	**8617185**	**4292.85**	**9060304**	**8380781**	**1699.72**

5— सिंचित/असिंचित में भिन्नता न करते हुये दोनो ही परिस्थितियों में रू0 2200 प्रति हे0 की दर से धनराशि का वितरण किया जायेगा। न्यूनतम भू—भाग पर भी सिंचित/असिंचित क्षेत्र के लिये न्यूनतम देय राशि रू0 1000/— होगी।

6- स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की बेवसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

7- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-04-दैवी आपदा से प्रभावित किसानों को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सहायता-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

8- जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जाय । अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

9- स्वीकृत धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

10- वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

11- स्वीकृत धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अत: इसका सदुपयोग सुनिश्चित करते हुये व्यय का लेखा-जोखा रखना तथा पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का

Scanned by CamScanner

कर्तव्य है । अतः प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

12- स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराते हुये उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//यू0पी0.एनआईसी.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय।

13- स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2017 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।

14- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

15- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव।

संख्याः- 1128 (1)/1-10-2016, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सचिव राजस्व उ0प्र0 शासन ।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ0प्र0।
6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

Scanned by CamScanner